

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2015/ IV - 1325/ 788

दिनांक:

19/05/2015

सेवा में,

**M/s Three C Properties Pvt. Ltd.,
C - 23, Greater Kailash, Enclave Part -1,
New Delhi - 49.**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15-04-2015 के संदर्भ में आपके द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एच - 10, सेक्टर - 98, नोएडा पर जमा कराये गये पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु भवन मानचित्रों की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

[REVISED PLAN]

1

For Three C Properties Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेंगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावैस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
16. यह स्वीकृति याणित्यक भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तों/लीज डीड की शर्तों/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
17. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में सम्पूर्ण परिसर के अन्तर्गत अनुमन्य कियारे एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमन्य कियारे एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
18. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी
19. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना के क्रियान्वयन एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्दर परियोजना पूर्ण करनी होगी।

[REVISED PLAN]

20. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
21. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
22. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
23. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
24. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित कियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।

[REVISED PLAN]

25. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
26. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाएँ, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
27. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
28. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मुख्य बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के अनुपालन में पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० से पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण की भू-गर्भ जल सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा तथा उक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नियमों / शर्तों / प्रतिबंधों का परियोजना के अन्त तक पूर्णतः पालन करना होगा।
29. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
30. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं० 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं० 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यों हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
31. आबंटी को क्रय योग्य एफ०ए०आर० की कुल धनराशि ₹ 29,48,23,027/- (रुपये उन्नीस करोड़, अड़तालीस लाख तैइस हजार सत्ताइस मात्र) जमा कराने हेतु दिनांक 11.05.2015 को सूचित किया

REVISED PLAN

गया था, जिसके सापेक्ष में आबंटी द्वारा ₹ 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़) जमा करा दिये गये हैं एवं शेष धनराशि ₹ 14,48,23,027/- (रुपये चौदह करोड़ अड़तालीस लाख तैंइस हजार सत्ताइस मात्र) को मानचित्र स्वीकृति से 90 दिन के अन्दर जमा कराने का अनुरोध किया है, जिसपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 30 दिन के अन्दर जमा कराने की अनुमति आबंटी के पत्र (115/सी पर संलग्न) पर दिनांक 18.05.2015 को प्रदान की गयी है। अतः उक्त शेष धनराशि को आबंटी द्वारा 30 दिन के अन्दर जमा कराना होगा अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

32. उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व, अनुरक्षण का सम्बर्धन) अधिनियम-2010 की धारा - 12 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रारूप 'क' में घोषणा पत्र (deed of declaration) के सम्बन्ध में आबंटी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आबंटी द्वारा अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा अभी तक सर्विस अपार्टमेंट व ऑफिस स्पेस का विक्रय नहीं किया गया है।

पुनरीक्षित मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	24,000.00 वर्ग मीटर
अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 30%	=	7,200.00 वर्ग मीटर
अतिरिक्त अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल (For MLC) @ 5%	=	1200.00 वर्ग मीटर
(पैरा नं० 24.4.1.3.XI page no. 2148)		
अतिरिक्त क्रय योग्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 5%	=	1200.00 वर्ग मीटर
कुल अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल 40%	=	9600.00 वर्ग मीटर
कुल प्रस्तावित भू-आच्छादित क्षेत्रफल 38.12655%	=	9150.372 वर्ग मीटर
अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 4.0	=	96,000.00 वर्ग मीटर
क्रय योग्य एफ०ए०आर० 0.50 %	=	12000.00 वर्ग मीटर
ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% के साथ	=	4800.00 वर्ग मीटर
कुल अनुमन्य एफ.ए.आर	=	1,12,800.00 वर्ग मीटर
कुल प्रस्तावित एफ०ए०आर०	=	1,12,404.128 वर्ग मीटर

REVISED PLAN

For Three C Properties Pvt. Ltd.



Director/Authorised Signatory





तल	अनुमन्य एफ.ए.आर. (घर्ग मी०) क्रय योग्य व ५% हरित बिल्डिंग सहित	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (घर्ग मी०)		कुल क्षेत्रफल (घर्ग मी०)	पुरीकृत क्षेत्रफल (घर्ग मी०)		कुल क्षेत्रफल (घर्ग मी०)
		एफ.ए.आर.	सर्विसेज		एफ.ए.आर.	सर्विसेज	
भूतल	९६००.००	६१०७.८२	३९२.०६	६४९९.८८	२१६५.९८४	४०७.७७८	२५७३.७६२
प्रथम तल	शेष एफ०ए०आर०	५७१६.९८	५९७.५४	६३१४.५२	३६३६.७९६	४०३.१८३	४०३९.९७९
द्वितीय तल		५५६०.३७	३९२.०६	५९५२.४३	१४९२.४१५	१५८.१०९	१६५०.५२४
तृतीय तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	१६३५.०३८	३६५.३१८	२०२०.३५६
चतुर्थ तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	१६३५.०३८	३६५.३१८	२०२०.३५६
पंचम तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	२९०२.०९५	३७७.१३८	३२७९.२३३
छटवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
सातवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४५४८.६०१	५२०.९३५	५०६९.५३६
आठवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४५४८.६०१	३८९.२१४	४९३७.८१५
नौवां तल		५६२५.९०	३९२.०६	६०१७.९६	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
दसवां तल		५६२५.९०	३९२.०६	६०१७.९६	४७६४.६०५	४६०.२०७	५२१४.८१२
ग्यारहवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४७६४.६०५	५२०.९३५	५२६५.५४०
बारवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
तेरहवां तल		५५२६.८८	३९२.०६	५९१८.९४	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
चौदहवां तल		४४२४.००	२८०.७२	४७०४.७२	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
पन्द्रहवां तल		३५९४.४४	१८२.५२	३७७६.९६	४७६४.६०५	५२०.९३५	५२६५.५४०
सोलहवां तल		३५९४.४४	१८२.५२	३७७६.९६	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
सत्रहवां तल		३५९४.४४	१८२.५२	३७७६.९६	३९३६.५७०	३७८.६७८	४३१५.२४८
अट्ठारवां तल		१७९७.२२	९१.२६	१८८८.४८	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
उन्नीसवां तल		१७९७.२२	९१.२६	१८८८.४८	४७६४.६०५	५२०.९३५	५२६५.५४०
बीसवां तल		१७९७.२२	९१.२६	१८८८.४८	४७६४.६०५	४६०.२०७	५२१४.८१२
इक्कीसवां तल		१७९७.२२	९१.२६	१८८८.४८	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
बाइसवां तल		****	****	****	४७६४.६०५	३८९.२१४	५१५३.८१९
तीसवां तल		****	****	****	४७६४.६०५	५२०.९३५	५२६५.५४०
चौबीसवां तल		****	****	****	३८९५.१२१	३८९.२१४	४०८४.३३५
पच्चीसवां तल		****	****	****	२८३२.५५४	२६३.४९०	३०९६.०४४
छब्बीसवां तल		****	****	****	१४९२.४१५	१५८.१०९	१६५०.५२४
सत्ताइसवां तल		****	****	****	१४९२.४१५	१५८.१०९	१६५०.५२४
अट्ठाइसवां तल		****	****	****	१४९२.४१५	१५८.१०९	१६५०.५२४
उन्नीसवां तल		****	****	****	१४९२.४१५	१५८.१०९	१६५०.५२४
तीसवां तल		****	****	****	९६८.२९०	२०७.१६३	११७५.४५३
इक्कीसवां तल		****	****	****	९६८.२९०	१४६.१७०	१११४.४६०
मनटी/मशीन रूम		****	****	****	****	७७४.५३०	७७४.५३०
तहखाना-I		****	४५२२.०४	४५२२.०४	****	****	****
तहखाना-II		****	११७१.०३	११७१.०३	****	****	****
तहखाना-III		****	२८२.४२	२८२.४२	****	****	****
कुल एफ०ए०आर०	१,१०,९२४.२८	१,००,७७५.०९	१२,६६३.१३	१,१३,६३८.२२	१,१२,४०४.१२८	१२,३०५.७५४	१,२४,७०९.६८२

REVISIED PLAN



नॉन एफ0ए0आर0							
तहखाना-I	सेट बैक छोडने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	...	15899.19	15899.19	...	20195.116	20195.116
तहखाना-II		...	19257.26	19257.26	...	19782.695	19782.695
तहखाना-III		...	19767.84	19767.84	...	...	...
सर्विस तल		...	1487.12	1487.12	...	889.771	889.771
रिफ्यूज		...	1658.43	1658.43	...	...	...
स्टील्ट/पोडियम-1		...	...	...	...	12338.467	12338.467
प्रथम/पोडियम -2		...	...	...	...	992.039	992.039
मल्टी लेवल कार पार्किंग		...	...	...	...	23641.032	23641.032
कुल नॉन एफ,ए.आर.		...	58,069.84	58,069.84	...	77,839.12	77,839.12
कुल पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (तहखाना सेवा सहित)			= 1,13,638.22 + 58,069.84 = 1,71,708.06 वर्ग मीटर				
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल तहखाना सेवा सहित			= 1,24,709.882 + 77,839.12 = 2,02,549.002 वर्ग मीटर				

- पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 9,150.372 वर्ग मी0
- पुनरीक्षित एफ0ए0आर0 = 1,12,404.128 वर्ग मी0

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.

Pl. Asstt. Archt. Asstt. Archt. Architect

नाम...
पद...
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नॉएडा

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक (वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेट्री
स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ0प्र0
डायरेक्टरेट ऑफ एन्वारमेन्ट,
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ0प्र0
को सादर सूचनार्थ ।

[REVISED PLAN]

